



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228381
CG-DL-E-20072021-228381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2663]
No. 2663]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ़ 28, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

का.आ. 2869(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अम्बासा जवाहरनगर (NH44A) के कि.मी. 16.077 से 25.98, ऑफिस ऑफ़ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर, कैलाशहर, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट (NH44A) के कि.मी 25.98 से 36.69, ऑफिस ऑफ़ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर, धर्मनगर, नार्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट (NH44A) के कि.मी. 36.69 से 43.935 त्रिपुरा राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH44A तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44A के कि.मी. 16.077 से 25.98 तक	त्रिपुरा	ढलाई	मनु	1 जारुलचरा
					चैलेंगटा	1 लालचरा 2 मनु- चैलेंगटा रिजर्व फॉरेस्ट
					करमचरा	1 पुरबा मसली 2 पश्चिम मसली 3 देव वैली रिजर्व फॉरेस्ट
2	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44A के कि.मी. 25.98 से 36.69 तक	त्रिपुरा	उनाकोटी	माछमारा	1 देव रिजर्व फॉरेस्ट 2 रबीरायपारा
3	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44A के कि.मी. 36.69 से 43.935 तक	त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा	दसदा	1 मनु- चैलेंगटा रिजर्व फॉरेस्ट
					उजान माछमारा	1 उजान माछमारा रिजर्व फॉरेस्ट
					कंचनपुर	1 चांदीपुर 2 कंचनचारा 3 कंचनपुर

[फा. सं. NHIDCL/PMU Dmr/7(2)/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2021

S.O. 2869(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 16.077 to 25.98 of Office of District Magistrate Ambassa Jawaharnagar (NH44A), 25.98 to 36.69 of Office of the District Magistrate & Collector, Kailashahar, Unakoti District (NH44A), 36.69 to 43.935 of Office of the District Magistrate & Collector, Dharmanagar, North Tripura District (NH44A) in the State of TRIPURA for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TRIPURA

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH44A in the State of TRIPURA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate and Collector	16.077KM To 25.98KM	TRIPURA	Dhalai	Manu	1 Jarulchara
					Chailengta	1 Lalchara 2 Manu- Chailengta Reserve Forest
					Karamchara	1 Purba Masli 2 Paschim Masli 3 Deo Valley Reserve Forest
2	Additional District Magistrate and Collector	25.98KM To 36.69KM	TRIPURA	Unakoti	Machmara	1 Deo Reserve Forest 2 Rabiraipara
3	Additional District Magistrate and Collector	36.69KM To 43.935KM	TRIPURA	North Tripura	Dasda	1 Manu- Chailengta Reserve Forest
					Ujan Machmara	1 Ujan Machmara Reserve Forest
					Kanchanpur	1 Chandipur 2 Kanchanchara 3 Kanchanpur

[F. No. NHIDCL/PMU Dmr/7(2)/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director